

भारतीय नैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FF 579577

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2020-21 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम अमिलाख सिंह सचिव चौधरी राम सिंह यादव ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट, ग्राम-पृथ्वीपुर, पोस्ट- किशानी, तहसील- किशानी, जिला- मैनपुरी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा श्री गोवर्धन फार्मसी कालेज पुष्पा नगर किशानी मैनपुरी, नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2020-21 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम नगर पंचायत किशानी, तहसील- किशानी, जिला- मैनपुरी में गाटा संख्या 2017, 2034, 2036 रकबा क्रमशः 0.237, 0.2225, 0.0405 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.5 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी चाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2017-2034, 2036 रकबा क्रमशः 0.237, 0.2225, 0.04005 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.5 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02/06/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, 200 प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्था विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं कार्यशालाओं आदि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व पूर्णतया की जायेगी।



1. नाम: ...  
 2. पता: ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...  
 11. ...

Singh  
 H.O. सचिव

Managing Trustee  
 Dr. Ram Singh Kishore Education  
 Prachin, ...